विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र.-4359 प्रश्नांश(क) परिशिष्ट-एक [25/3/2022]
प्रश्नकर्ता-श्री आलोक चतुर्वेदी प्रश्न सं. [क्र. 4359] दिनांक-17.03.2022/25.03.2022 (30) (1)
पेज 1 से 2

जांच प्रतिवेदन

श्री भुवनेश्वर मिश्रा, भोपाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के तारतम्य में तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। प्रकरण में जांच दल की बैठक दिनॉक 24 सितम्बर 2019 को डा. श्रीमती वीणा सिन्हा, संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के कक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक में जांच दल के निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुए :-

1 डा. श्रीमती वीणा सिन्हा, संयुक्त संचालक

2 डा. श्रीमती अर्चना पुण्डीर, उप संचालक नर्सिंग प्रशिक्षण

3 डॉ शरद तिवारी, उप संचालक अविज्ञप्त

प्रकरण में नोटशीट एवं एम.पी.आन लाइन द्वारा जारी क्वालीफाइड केंडीडेट की मेरिट सूची एवं विभागीय साइड पर अपलोड की गई चयनित प्रतिभागियों की सूची का परीक्षण किया गया ।

नर्सिंग सिस्टर एवं सिस्टर टयूटर के पदो को सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिये सीमित विभागीय परीक्षा हेतु चयन संबंधी नियम एवं शर्तो संबंधी पुस्तिका के नियम 7 में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लियें न्यूनतम अर्हकारी अंक कटआफ मार्कस 50 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक कटआफ मार्कस 45 प्रतिशत निर्धारित किये गये थे । एम.पी.आन लाइन द्वारा आयोजित उक्त परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक कटआफ मार्कस के आधार पर 213 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए । जिसमें से रोस्टर के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची के अंतिम सरल क्रमांक 196 तक की जारी की गई। मेरिट के अंतिम सरल क्रमांक 196 के उपर के सरल क्रमांकों में से 4 उम्मीदवार अयोग्य पाये गये जो निम्नांकित है :-

1	मेरिट क्रमांक 16	सीमा टीले	भोज मुक्त विश्वविघालय
2	मेरिट क्रमांक 49	सारिका नायक	सेवा अनुभव 05 वर्ष नही
3	मेरिट क्रमांक 50	योगिता दोनोडेकर	भोज मुक्त विश्वविघालय
4	मेरिट क्रमांक 85	मसर्रत मिर्जा	भोज मुक्त विश्वविघालय

N Sharma 15/3/22
उप संचालक (नर्सिंग) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश

नियम पुस्तिका में शासन द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर अनुसार वर्गवार जितने पदों को आरक्षित किया गया था एम.पी. आनलाइन द्वारा दी गई कम्बाइंड सूची से चयनित

उप संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

उम्मीदवारों को मेरिट सूची में सिम्मलित किया गया एवं आरक्षित पदों की पूर्ति पश्चात कम्बाइंड सूची में उनसे कम अंक बाले 90 उम्मीदवारों को जो इस कामन मेरिट लिस्ट में सम्मिलित थे उन्हें नही लिया गया तदुपरांत 102 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया ।

एम.पी.आन लाइन द्वारा दी गई 213 उम्मीदवारों की सूची एवं विभाग द्वारा जारी 102 उम्मीदवारों की मेरिट सूची का परीक्षण किया गया इसमें एक भी प्रतिभागी ऐसा नही पाया गया जिसका चयनित उम्मीदवारों से ज्यादा मेरिट हो और उसका नाम चयनित की सूची में सम्मिलित न किया गया हो । परीक्षण उपरांत यह भी स्पष्ट है कि विभाग ने जो चयनित उम्मीदवारों की सूची रोस्टर अनुसार तैयार कर विभागीय वेवसाइड पर अपलोड की थी वह उत्तीर्ण उम्मीदवारों की मेरिट के अनुसार ही बनाई गई थी।

दिनॉक 11.03.2019 से लोक सभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू हो रही थी अतः विलम्ब न हो के दृष्टिगत चयनित उम्मीदवारों की सूची अवकाश दिवस को अर्थात दिनॉक 09.03.2019 को जारी की गई थी

चयनित उम्मीदवारों की सूची बनाते समय नियम पुस्तिका के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पूर्ण पारदर्शित बरती गई है तथा पूर्ण परिणाम घोषित न कर केवल चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची विभागीय वेवसाइड पर अपलोड करने के संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश एवं अनुमोदन प्राप्त प्राप्त कर उक्त कार्यवाही की गई । जॉच समिति ने प्रकरण में तत्संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता नही पाई ।

15/10/19

(डा. श्रीमती वीणा सिन्हा)	(डा. श्रीमती अर्चना पुण्डीर)	(डॉ शरद तिवारी)
संयुक्त संचालक	उप संचालक नर्सिंग प्रशिक्षण	उप संचालक अविज्ञप्त

--00--

उप संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

N Sharma
15/3/22
उप संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश